छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 189 प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2025-02818**

आवेदक : श्रीमती सोहद्रा मिरे, पति–स्व. श्री राजकुमार मिरे, पता–जी–14, नगर निगम स्टॉफ कॉलोनी, निहारिका टॉकिज के पीछे, जिला–कोरबा (छ.ग.) विरूद्ध श्री पी.आर. महादेवा, पता–आई.बी.पी. पेट्रोल पंप के पीछे, उसलापुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट – ''प्रज्ञा होम्स'', पता–अमेरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
17/09/2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री अलीमुद्दीन उपस्थित। – अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री सर्वेश खटनानी उपस्थित। – आवेदिका श्रीमती सौहद्रा मिरे द्वारा अधिनियम की धारा–31, नियम–35 के अधीन प्रारूप–ड़ में यह आवेदन किया गया है, कि अनावेदक श्री पी.आर. महादेवा एवं उनके पुत्र श्री दीपक कुमार द्वारा भूखंड क्रमांक–137, 768 वर्गफीट, ग्राम–अमेरी, रा. नि–संकरी, तखतपुर, जिला–बिलासपुर में प्रतिफल 21,00,000/– रूपये में सर्वसुविधा युक्त कॉलोनी निर्माण कर प्रदान करने का आश्वासन देते हुए विक्रय किया गया है, जिसमें मकान जर्जर स्थिति में है, पानी की निकासी एवं सेप्टिक टैंक इत्यादि कार्य नहीं किया गया है, 2,00,000/– रूपये की क्षति हुई है, अतः अनावेदक से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। – अनावेदक श्री पी. आर. महादेवा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा परियोजना प्रज्ञा होम नामक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, अतः प्रकरण निरस्त किया जाए। – आवेदिका को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु दिनाँक 30.07.2025 को समय प्रदान किया गया। दिनाँक 30.07.2025 को आवेदिका के अभिभाषक द्वारा समय प्रदान किए जाने की याचना की गई। नियत दिनाँक 08.08. 2025 को आवेदिका पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुई, जिस पर अवसर समाप्त करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 189 प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2025-02818**

आवेदक : श्रीमती सोहद्रा मिरे, पति–स्व. श्री राजकुमार मिरे, पता–जी–14, नगर निगम स्टॉफ कॉलोनी, निहारिका टॉकिज के पीछे, जिला–कोरबा (छ.ग.) **विरूद्ध** श्री पी.आर. महादेवा, पता–आई.बी.पी. पेट्रोल पंप के पीछे, उसलापुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट – ''प्रज्ञा होम्स'', पता–अमेरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	गया। नियत दिनाँक 08.09.2025 को आवेदिका पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुए। – अनावेदक पक्ष का तर्क श्रवण किया गया। – आवेदिका द्वारा प्रस्तुत विक्रय–विलेख का अवलोकन किया गया। विक्रय विलेख में अनावेदक श्री पी.आर. महदेवा विक्रेता के रूप में उल्लेखित नहीं है, यह उल्लेखनीय है, कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में मात्र श्री पी.आर.महादेवा, को अनावेदक के रूप में उल्लेखित किया गया है, आवेदिका द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता हो कि अनावेदक श्री पी.आर. महदेवा द्वारा कोई भू–संपदा प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया गया हो, आवेदिका से कोई अनुबंध किया गया हो, आवेदिका अनावेदक की ओर से आबंटिती हो, अनावेदक किसी भू–संपदा प्रोजेक्ट का संप्रवर्तक है, अनावेदक द्वारा किसी भू–संपदा का विक्रय आवेदिका के पक्ष में किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तर्क में यह कथन किया गया है, कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवेदन के तथ्यों से एवं संव्यवहार से अनावेदक का कोई संबंध नहीं है, स्पष्ट है, कि आवेदिका यह स्थापित कर पाने में असमर्थ रही है, कि उनके आवेदन अनुसार उल्लेखित अनावेदक श्री पी.आर. महदेवा द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के किस प्रावधान का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है? अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणनीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 189 | प्रकरण क्रमांक– **M-PRO-2025-02818**

आवेदक : श्रीमती सोहद्रा मिरे, पति–स्व. श्री राजकुमार मिरे, पता–जी–14, नगर निगम स्टॉफ कॉलोनी, निहारिका टॉकिज के पीछे, जिला–कोरबा (छ.ग.) **विरूद्ध** श्री पी.आर. महादेवा, पता–आई.बी.पी. पेट्रोल पंप के पीछे, उसलापुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट – ''प्रज्ञा होम्स'', पता–अमेरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	